अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2024-हिं.अ. दिनांक: 24.07.2024

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2024 को हुई अप्रैल-जून, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2024 को अपराह्न 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई अप्रैल-जून, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

24/7/24

(पदम सिंह)
वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी(का.)

वितरण:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन महोदय के प्रधान निजी सचिव)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2024 को अप्रैल-जून, 2024 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल-जून, 2024 अवधि की एक बैठक दिनांक 27.06.2024 को सायं 03.00 बजे, प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक, एम्स एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ. संजीव लालवानी, चिकित्सा अधीक्षक (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री कर्ण सिंह, अपर निदेशक (प्रशासन), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्रीमती दिव्या यानामदाला, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री के. पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय-I (दिल्ली) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री दीपक भुटाले, अधीक्षण अभियंता एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.) एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कार्यवाहक), संकाय प्रकोष्ठ एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ एवं आउटसोर्स प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री सुदेश कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

10.	श्री अनिल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्रीमती सरोज लाल, प्रशासनिक अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ एवं समन्वय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री प्रेमपाल, लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री सुरेन्द्र कूलवाल, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्री सतीश कुमार, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	डॉ. संजय राय, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री सतीश कुमार, सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, प्रभारी अधिकारी बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	प्रभारी-आचार्य, जनसंपर्क प्रभाग के प्रतिनिधि:- श्री सुधीर शर्मा कुमार, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) की प्रतिनिधि:- सुश्री अंकिता सैनी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री हरगोपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

22.	प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) की प्रतिनिधि:- श्रीमती कमला भाकुनी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
23.	श्री जोगिन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल) एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री महेन्द्र पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ. के प्रतिनिधि:- श्री राजकुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री सुनील कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र की प्रतिनिधि:- श्रीमती सूक्ष्म, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्री महेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
30.	प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर के प्रतिनिधि:- श्री श्याम सुन्दर लाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
31.	श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव (कार्यकारी)

श्रीमती अनिता राय सक्सेना, हिंदी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकी। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 **भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक <u>कार्यक्रम संबंधी।</u>**

हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 24.04.2024 को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	**हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)** i. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को ii. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को iii. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को iv. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	 100% 100% 65% 100%	**संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता सभी 35 अनुभाग/केन्द्र एवं सभी विभाग आदि।**
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	
3	हिंदी में टिप्पण	75%	

4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	**सीमेट, शैक्षिक अनुभाग**
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	**भर्ती प्रकोष्ठ/ परीक्षा अनुभाग**
6	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	**संस्थान के सभी संबद्ध अधिकारीगण/संकाय-सदस्यगण**
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	**हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/केंद्र**
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	**शैक्षिक अनुभाग/ सीमेट**
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	**बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय/सभी केंद्र**
10	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	**भंडार अनुभाग (नि.का.)/कंप्यूटर सुविधा/सभी विभाग/केंद्र**
11	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	**कंप्यूटर सुविधा/सभी केंद्र**
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का द्विभाषी रूप में प्रदर्शन	100%	**इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र**
13	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण(कार्यालयों का प्रतिशत) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम) 25% (न्यूनतम)	**हिंदी अनुभाग**
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	**हिंदी अनुभाग**
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	**सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र**
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो	40%	**सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केन्द्र/हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 <u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि फरवरी, 2024 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण/आशुलिपि के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 13 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त, 2024 से आरंभ होने वाले हिंदी टंकण के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र हेतु संस्थान के कर्मचारीगण से नामांकन मंगवाने हेतु दिनांक 31.05.2024 को हिंदी अनुभाग की ओर से एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण के अगस्त 2024 से प्रारंभ होने वाले ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 4 <u>संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी।</u>

हिंदी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामलों को अन्य कैडर के मामलों से अलग मानते हुए पदों के सृजन की कार्रवाई अलग से की जाए ताकि माननीय संसदीय समिति को दिया गया आश्वासन पूर्ण हो सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि हिंदी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर संस्थान की आंतरिक कैडर रिव्यू समिति की सिफारिशों को एस.एफ.सी. एवं जी.बी. की स्वीकृति के बाद दिनांक 20.03.2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। इस विषय में प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कैडर समीक्षा की सिफारिशों के संबंध में चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है एवं उपरोक्त विषय अभी चर्चा के लिए लंबित है।

उक्त विषय पर विचार-विमर्श के दौरान श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान में हिंदी कैडर के पदों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर हिंदी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान में हिंदी कैडर के कुल 13 पद स्वीकृत हैं और इन पदों पर 13 ही अधिकारी/कर्मचारी नियमित/आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे हैं। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी का एक पद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के 02 पद अभी पदोन्नति हेतु पद होने के

कारण तकनीकी रुप से रिक्त हैं तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) का एक पद लियन पर होने के कारण रिक्त है। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में इन सभी रिक्त पदों पर 04 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक बेसिल के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे हैं।

श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान में हिंदी कैडर के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रिक्त पद को भरने के संबंध में पूछे जाने पर हिंदी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद हेतु अभी कोई हिंदी अधिकारी वर्तमान में इस पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है क्योंकि वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद हेतु संस्थान में लागू भर्ती नियमों में हिंदी अधिकारी से वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 08 वर्ष का कार्य अनुभव होना अपेक्षित है जबकि भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं मंत्रालय आदि में 05 वर्ष का कार्य अनुभव होना अपेक्षित है। श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) ने माननीय समिति को सूचित किया कि संस्थान में भी भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद हेतु संस्थान में लागू भर्ती नियमों में विसंगति को दूर किया जाए।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए तथा संस्थान में हिंदी कैडर के पदों हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ/हिंदी अनुभाग

मद सं. 5 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 70.16% ही है।

हिंदी अधिकारी ने समिति को यह सूचित किया गया पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दिनांक 22 मई, 2024 को संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों के कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि जल्दी ही संस्थान के अन्य वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य से बहुत कम पत्राचार हिंदी में किया गया है, उन सभी अनुभागों/केंद्रों के प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी की ओर से एक पत्र जारी करके सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के निदेश जारी किए जाएं।

इस मुद्दे पर बोलते हुए, श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने यह सुझाव दिया कि संस्थान में हिंदी में मूल पत्राचार में वृद्धि हेतु संस्थान के ई-ऑफिस सिस्टम को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित अनुवाद टूल **'कंठस्थ'** के साथ जुड़वा कर संस्थान के ई-ऑफिस पर फाइलों आदि को अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित करके हिंदी पत्राचार में अपेक्षित वृद्धि की जा सकती है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के ईमानदारी से प्रयास किए जाएं और भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित अनुवाद टूल **'कंठस्थ'** का प्रयोग करते हुए मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि की जाए और हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान के विभिन्न वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी नियमित रूप से किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय तथा अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

05/07/2024

(प्रमोद कुमार/PARMOD KUMAR)
हिन्दी अधिकारी/Hindi Officer
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
All India Institute of Medical Sciences
अंसारी नगर, नई दिल्ली/Ansari Nagar, New Delhi-29

अनिता राय सक्सेना/ANITA RAI SAXENA
हिन्दी अधिकारी/Hindi Officer
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
All India Institute of Medical Sciences
अंसारी नगर, नई दिल्ली/Ansari Nagar, New Delhi-29